



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 814]

नई दिल्ली, बुधस्यतिवार, मई 5, 2011/वैशाख 15, 1933

No. 814]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2011/VAISAKHA 15, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2011

का.आ. 1003(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैठक के सामान्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो संपूर्ण भारत में अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

[फा. सं. 17/4/2010-पीएल]

राजीव गाँवा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2011

S.O. 1003(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby specifies Delhi as the ordinary place of sitting of the National Green Tribunal which shall exercise jurisdiction in the whole of India.

[F.No. 17/4/2010-PL]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.